

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।  
अपील संख्या:310/2015 (जीसीएमएस नं. 2015/00104)

01. फजरा पुत्र स्व. श्री भावसिंह, जाति मेव, निवासी ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर, राजस्थान (मृतक दौराने अपील)
- 1/1. मौहम्मदी बेवा फजरा, उम्र करीब 71 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 1/2. खुबी खॉ पुत्र फजरा उम्र करीब 45 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 1/3. जैकम खॉ पुत्र फजरा उम्र करीब 33 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 1/4. लैकश खॉ पुत्र फजरा उम्र करीब 31 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 1/5. लियाकत अली पुत्र फजरा उम्र करीब 28 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 1/6. रहीसन पुत्री फजरा उम्र करीब 50 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 1/7. जननी पुत्री फजरा उम्र करीब 48 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 1/8. सरीना पुत्र फजरा उम्र करीब 40 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 1/9. समीना पुत्र फजरा उम्र करीब 38 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 1/10. वसमीना पुत्र फजरा उम्र करीब 35 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

01. झबली पुत्री स्व. भावसिंह, जाति मेव, पत्नी श्री हुसैना, निवासी सैमला कलां, तहसील नगर, जिला भरतपुर राजस्थान।
02. रेशम बेवा अली खॉ, पुत्रवधु स्व. श्री भावसिंह, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
03. विक्रम पुत्र स्व. अली खॉ पौत्र स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
04. विजेन्द्र पुत्र स्व. अली खॉ पौत्र स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
05. पप्पू पुत्र स्व. अली खॉ पौत्र स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
06. अकबरी पुत्री स्व. अली खॉ पौत्री स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
07. अफसाना पुत्री स्व. अली खॉ पौत्री स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
08. अकबर खॉ पुत्र स्व. नब्बू खॉ पौत्र स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

संभागीय आयुक्त  
जयपुर

(2)

09. अख्तर खॉ पुत्र स्व. नब्बू खॉ पौत्र स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
10. मजलिस खॉ पुत्र स्व. नब्बू खॉ पौत्र स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
11. अनसीना पुत्री स्व. नब्बू खॉ पौत्री स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
12. कुकसीना पुत्री स्व. नब्बू खॉ पौत्री स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
13. सरदार खॉ पुत्र स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
14. मु. पंची पुत्र स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
15. राजस्थान सरकार जरिये सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर राजस्थान।

— रेस्पोजेन्ट्स

अपील सख्या:293/2015 (जीसीएमएस नं. 2015/00117)

01. रेशम बेवा अली खॉ,
02. विक्रम पुत्र स्व. अली खॉ,
03. बिजेन्द्र पुत्र स्व. अली खॉ,
04. साहबाज पुत्र स्व. अली खॉ,
05. असगरी पुत्री स्व. अली खॉ,
06. अफसाना पुत्री स्व. अली खॉ, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
07. अकबर खॉ पुत्र स्व. नब्बू खॉ,
08. अख्तर खॉ पुत्र स्व. नब्बू खॉ,
09. मजलिस खॉ पुत्र स्व. नब्बू खॉ,
10. अनसीना पुत्री स्व. नब्बू खॉ,
11. कुकसीना पुत्री स्व. नब्बू खॉ, पौत्र स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

01. झबली पुत्री स्व. भावसिंह, जाति मेव, पत्नी श्री हुसैना, निवासी सैमलाकलां, तहसील नगर, जिला भरतपुर राजस्थान।
02. मु. पंछी पुत्र स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

—असल रेस्पोजेन्ट्स

03. फजरा पुत्र स्व. श्री भावसिंह, (मृतक दौराने अपील)  
3/1. मौहम्मदी बेवा फजरा, उम्र करीब 71 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।  
3/2. खुबी खॉ पुत्र फजरा उम्र करीब 45 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।  
3/3. जैकम खॉ पुत्र फजरा उम्र करीब 33 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

संश्लेषीय अलवर  
जयपुर

- 3/4. लैकश खॉ पुत्र फजरा उम्र करीब 31 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 3/5. लियाकत अली पुत्र फजरा उम्र करीब 28 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 3/6. रहीसन पुत्री फजरा उम्र करीब 50 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 3/7. जननी पुत्री फजरा उम्र करीब 48 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 3/8. सरीना पुत्र फजरा उम्र करीब 40 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 3/9. समीना पुत्र फजरा उम्र करीब 38 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
- 3/10. वसमीना पुत्र फजरा उम्र करीब 35 साल, जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
4. सरदार खॉ पुत्र स्व. श्री भावसिंह जाति मेव निवासी जटियाना तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर राजस्थान।

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

### निर्णय

दिनांक: 04.10.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर में अवस्थित आराजीयात खसरा नम्बर 127, 152, 154, 252, 443, 459, 808 कुल कता 7 कुल रकबा 23 बीघा 7 बिस्वा के सम्पूर्ण हिस्से का व खसरा नम्बर 29, 32, 86, 88 लगायत 91, 118, 130, 119, 147, 192 कुल किता 11 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा के 1/3 हिस्से का, खसरा नम्बर 184 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा का 1/2 हिस्से का खसरा नम्बर 120, 228 कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा के 1/6 हिस्से का, खसरा नम्बर 121, 122 123, 171 कुल किता 4 कुल रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा के 1/6 हिस्से का खसरा नम्बर 510, 511, 572 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा के 1/6 हिस्से व खसरा नम्बर 130 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा के 1/3 हिस्से का काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलान्त व रेस्पोंडेन्ट 13 व 14 का पिता एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगायत 12 का दादा पितामाह भावसिंह राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज चला आया है। उन्होने आगे कथन किया है कि भावसिंह का सन् 1992 में

स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् भावसिंह की पुत्री रेस्पोजेन्ट संख्या 1 झबली ने दिनांक 14.07.1993 को एवं भावसिंह के पुत्र अली खॉ, नब्बू खॉ एवं अपीलान्ट व रेस्पोजेन्ट संख्या 13 ने दिनांक 31.07.1993 को विचारण न्यायालय सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर के समक्ष भावसिंह की विरासत का नामान्तरकरण भावसिंह के उत्तराधिकारियों के नाम से तस्दीक करने का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर पत्रावली कायम कर सुनवाई व साक्ष्य लेकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर ने दिनांक 15.03.1994 को निर्णय पारित कर भावसिंह की उक्त कृषि भूमि के 2/3 हिस्से का भावसिंह के चारों पुत्रान अली खॉ, नब्बी खॉ, सरकार खॉ, व फजरा खॉ के नाम से व 1/3 हिस्से का भावसिंह की दोनो पुत्रीयों झबली व पंची के नाम से रिकार्ड में अमल किये जाने का आदेश प्रदान किया गया जिसकी पालना में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर ने नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 15.04.1994 को 2/3 हिस्से का भावसिंह के उक्त चारों पुत्रान अली खॉ, नब्बी खॉ, सरदार खॉ व फजरा खॉ के व 1/3 हिस्से का भाव सिंह की दोनों पुत्रीयों झबली व पंची के नाम से तस्दीक किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 15.03.1994 के विरुद्ध दिनांक 22.03.1994 को नब्बू खॉ ने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर के समक्ष एक नजरसानी रिब्यू प्रार्थना प्रस्तुत किया जिस पर विचारण न्यायालय सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर ने सभी पक्षकारान को सूचना व सुनवाई व जवाब का अवसर प्रदान किया जिसमें रेस्पोजेन्ट संख्या 1 झबली एवं उसके अधिवक्ता भी उपस्थित हुये और उन्होने जवाब प्रार्थना पत्र का दिनांक 17.05.1994 को प्रस्तुत किया एवं विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 02.06.1994 को नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उनके द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 15.03.1994 को निरस्त कर भावसिंह के चारो पुत्रान अली खॉ, नब्बी खॉ, फजरा खॉ व सरदार खॉ के नाम सम्भाग रिकार्ड में इन्द्राज करने का आदेश प्रदान किया जिसकी पालना में भावसिंह के चारों पुत्रान के नाम से नामान्तरकरण संख्या 87 दिनांक 30.06.1994 को तस्दीक कर उनका नाम राजस्व भू अभिलेखों में अमल दरामद कर दिया गया तथा भावसिंह के चारो पुत्रान उक्त आराजीयात पर उनके चारों पुत्र काबिज काशत चले आये तथा अली खॉ व नब्बू खॉ का स्वर्गवास होन जाने पर उनके हिस्से की आराजीयात पर उनके उत्तराधिकारी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 लगायत 12 व रेस्पोजेन्ट व अपीलान्ट के साथ काबिज काशत चले आ रहे है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि भू प्रबन्ध कार्य बन्द हो जाने के पश्चात् रेस्पोजेन्ट संख्या 1 झबली ने न्यायालय सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 02.06.1994 की पालना में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 87 दिनांक 30.06.1994 के विरुद्ध प्रथम अपील असाधारण विलम्ब से न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष दिनांक 02.09.2013 को प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अनुचित व अवैध रूप से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय अधीन अपील दिनांक 07.09.2015 के द्वारा

संज्ञकीय आगुक्त  
जयपुर

अपील स्वीकार कर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 87 दिनांक 30.06.1994 को निरस्त कर पूर्व नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 15.04.1994 को बहाल कर दिया जो निर्णय सही तथ्यों रिकार्ड एवं न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को सही अर्थों में समझे बिना कतई परवर्स, आरबीट्रेरी एवं कॉट्रेरी टू लॉ निर्णय अधीन अपील पारित किया है क्योंकि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी तथा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अपील प्रस्तुत करने के असाधारण विलम्ब का प्रयाप्त व सन्तोषजनक कारण नहीं बताया है जबकि रेस्पोजेन्ट झबली स्वयं व उनके अधिवक्ता द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र में उपस्थित आये हैं और उन्होने जवाब नजरसानी प्रस्तुत किया है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर के समक्ष मामला विवादित था तथा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर द्वारा मामला राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत निर्णय दिया जिसकी प्रथम अपील डायरेक्टर लैण्ड रिकार्ड (संभागीय आयुक्त) को ही हो सकती थी जिला कलक्टर को नहीं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के उक्त अपील की सुनवाई कर विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2015 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2015 सम्पूर्ण अपास्त किया जावें।

अपील संख्या 293/2015 में अपीलान्त रेशम के अधिवक्ता ने कथन किया है कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 02.06.1994 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 87 दिनांक 30.06.1994 स्वीकार किया गया है जिसके सम्बन्ध में विचारणीय न्यायालय के समक्ष अपीलान्त द्वारा गवाहान व मेव समुदाय के रिति-रिवाज, मेजरनामा व अन्य दस्तावेजात की परिपेक्ष्य में पारित किया गया जिनके आधार पर निर्णय दिनांक 02.06.1994 पारित किया गया था जो निर्णय आज दिनांक तक भी प्रभावशील है जिसे आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजर अन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2015 पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 07.09.2015 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 87 दिनांक 30.06.1994 बदस्तूर कायम रखे जाने की आज्ञा पारित की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि भावसिंह के 5 लड़के व 2 लड़किया थी जिनमें से एक लड़का भावसिंह के जीवनकाल में ही

गोद चला गया, रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर बन्दोबस्त के दौरान सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने जाँच कर एवं गवाहों के बयान इत्यादि लेकर नामान्तरकरण संख्या 80 भावसिंह के सभी छः वारिसों के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया किन्तु दिनांक 23.04.1994 को नब्बू खों ने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को पुर्नविचार के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पुनः विचार कर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने दिनांक 30.06.1994 को पुराने आदेश को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 87 दर्ज करने के आदेश पारित किये जो उक्त आदेश एकतरफा में दिये गये जिसमें रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को सुनवाई का मौके नहीं दिया, दूसरा निर्णय वाजिब उल अर्ज के आधार पर पारित किया जो गलत है, नामान्तरकरण संख्या 80 की जाँच के दौरान गवाह के बयान में साफ आया था कि मेव बिरादरी में पुत्रियों का हक है तथा रेस्पोजेन्ट को उक्त आदेश दिनांक 30.06.1994 की जानकारी रेस्पोजेन्ट को दिनांक 22.08.2013 को तब हुई जब अपीलान्ट व अन्य रेस्पोजेन्ट ने रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को बेदखल करने का प्रयास किया जिस पर कानूनी राय लेकर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एवं प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की गलती नहीं की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार भावसिंह के उत्तराधिकारी हैं तथा यह तथ्य भी निर्विवाद है कि रेस्पोजेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार भावसिंह की पुत्री है तथा किसी भी निर्वसीयती खेतदार मृत्यु होने पर मृतक खातेदार के सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान का समान हिस्से में आराजी में हक, हकूक, अधिकार कानूनन स्वतः ही हो जाते हैं तथा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के खातेदार भावसिंह की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामानतरकरण संख्या 80 खातेदार के सभी वारिसान के नाम स्वीकार किया गया है जिसे एक नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर मुस्लिम लॉ वाजिब उल दर्ज के आधार पर आदेश दिनांक 02.06.1994 पारित किया गया जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 87 दिनांक 30.06.1994 मृतक खातेदार की पुत्रियों को छोड़कर स्वीकार किया गया जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किया गया है जबकि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार भावसिंह की जाईन्दा पुत्री है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष उक्त नामान्तरकरण संख्या 87 दिनांक 30.06.1994 खारिज योग्य ही था। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2015 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

(7)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की दोनों अपीले खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2015 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)

संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।